

// 02 //

Gems No. 2014/00001

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 71/2014
 अनवान रव. जोरसिंह के कामु. रघुवीरसिंह वगैरा बगाम नाथुसिंह वगैरा
 अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

41. दिवानकँवर पुत्री जयसिंहजी
 प्रतिवादी संख्या 01 से 04 व प्रतिवादी संख्या 18 लगाय 41 तमाम ही जातिगण राजपूत
 निवासीगण चामुण्डेरी राणावतान् तहसील बाली जिला पाली (राज0)
42. तहसीलदार (भूगिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :-

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. श्री गणपतलाल चौधरी | अभिभाषक वादीगण की ओर से |
| 2. प्रतिवादी संख्या 01 से 42.... अनुपस्थित। | |
| 3. नायब तहसीलदार, बाली | पैरोकार सरकार |

--: निर्णय :-

दिनांक : 14-9-2021

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने ग्राम चामुण्डेरी राणावतान् तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1841, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857 कुल खसरा-14 कुल रकबा 10.42 हैक्टर किस्म बारानी दोगम व बारानी अब्बल कुल वार्षिक लगान 53.24 रूपये के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। अपने वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 41 के संयुक्त सह खातेदारी की भूमि होने तथा वादीगण का 1/10 हिस्सा वादीगण के 1/10 हिस्सा का बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 प्रदर्श -01 की प्रति, एवं नेट से निकाली गई जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 पेश की गई। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह वादी स्वयं पी.डब्लू-01 श्री रघुवीरसिंह पुत्र रव. जोरसिंह के बयान कलमबद्ध कराये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 41 बावजुद सम्मन तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा निम्नानुसार संख्या 01 से 41 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये:-

दिनांक एक पक्षीय आदेश	प्रतिवादी संख्या जिनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित हुये
16.03.2016	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38
20.11.2017	4, 5, 6, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 40, 41
09.09.2020	15
21.12.2020	18, 19, 20, 32, 39

प्रतिवादी संख्या-05 तहसीलदार, बाली फोरमल पक्षकार होने से इनका जबाब अवसर भी बन्द किया गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वाद में वर्णित भूमि ग्राम चामुण्डेरी राणावतान् तहसील बाली के खसरा नंबर 1841, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857 कुल खसरा-14 कुल रकबा 10.42 हैक्टर किस्म बारानी दोगम व बारानी अब्बल कुल वार्षिक लगान 53.24 रूपये के संबंध में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या- 01 व 41 के रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के टिनेन्सी एक्ट की धारा 53 के तहत विभाजन की प्राथमिक डिक्री न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2021 को जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति नायब तहसीलदार, नाना को भिजवाई जाकर प्राथमिक डिक्री की प्रतिलिपी न्यायालय में विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। न्यायालय आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/2021/ 1253 दिनांक 22.07.2021 से निम्नानुसार विभाजन रिपोर्ट पेश की:-

पेज लगातार.....03



उपखण्ड अधिकारी
 बाली जिला - पाली (राज.)

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर)	किरम	लगान	वरंग
1	सूरजकंवर पत्नि अर्जुनसिंह सा. लुन्दाडा 1/12 अर्जुनसिंह पुत्र कानसिंह सा. लुन्दाडा 1/6, मांगूसिंह पुत्र भूरसिंह सा. देह 1/24, भवशीकुंवर पुत्री भूरसिंह 1/24, बरान्ती कुंवर पत्नि नरपतसिंह, जोगेन्द्रसिंह, कमलसिंह पि. नरपतसिंह, देवीकुंवर, संतोष कुंवर पुत्रिया नरपतसिंह 1/6 हि. ब.हि.ब, परबतसिंह पुत्र थानसिंह, मेवाकुंवर, छेलकुंवर पुत्री थानसिंह, दाकुंकवर पत्नि थानसिंह हि. 1/6 लादुसिंह, सवाईसिंह, भीमसिंह पि. हमीरसिंह गीताकुंवर, चन्द्राकुंवर उषाकुंवर पुत्रिया हमीरसिंह हि. 1/6 शिवनाथसिंह पि. कोलसिंह 1/6 कौम राजपुत सा. देह खातेदार	1852/1	0.08	बा.दो.	0.40	पीला
		1853	0.87	बा.दो.	4.35	
		1854	0.34	बा.अ.	2.04	
		1855	0.33	बा.अ.	1.98	
		1856	0.24	बा.अ.	1.44	
		1857	0.24	बा.अ.	1.38	
		06	2.09	-	11.59	
02	लादूसिंह, गुलाबसिंह पिसरान् जयसिंह उमराव कुंवर, फाऊआकंवर, दिवानकुंवर पुत्रिया जयसिंह 1/5, नाथूसिंह, भोपालसिंह पिसरान् भीकसिंह 1/5, शैतानसिंह पुत्र भूरसिंह चंद्रिका कुंवर, सुरजकंवर मदनकुंवर पुत्रिया भूरसिंह 1/5, सूरजकंवर पत्नि दलपतसिंह, मनोहरसिंह, रूपसिंह पिसरान् दलपतसिंह 1/5, विजयसिंह, मोतीसिंह पि. मोहबबतसिंह रोहनकंवर पत्नि मोहबबतसिंह 1/5 कौम राजपूत सा. देह खातेदार गुलाबसिंह का हिस्सा रहन SBI नाना में	1849	0.29	बा.दो.	1.45	हरा
		1850	0.49	बा.दो.	2.45	
		1851	0.76	बा.दो.	3.80	
		1852	0.55	बा.दो.	2.75	
		04	2.09	बा.दो.	10.45	
03	तेजसिंह .1/2 भेरूसिंह 1/2 पि. जवारसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	1846/1	0.12	बा.दो.	0.60	लाल
		1847	0.95	बा.दो.	4.75	
		1848	0.80	बा.दो.	4.00	
		1849/1	0.21	बा.दो.	1.05	
		04	2.08	बा.दो.	10.40	
04	हरिसिंह पुत्र नाथूसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	1841	1.04	बा.दो.	5.20	आसमानी
05	रघुवीरसिंह, परबतसिंह पुत्र जोरसिंह किरण कुंवर पुत्री जोरसिंह छगनकुंवर पत्नि जोरसिंह 1/2 हि. गुमानसिंह पुत्र मोतीसिंह 1/2 हि. कौम राजपुत सा. देह खातेदार गुमानसिंह का हिस्सा रहन RMGB चामुण्डेशी में	1841/1	1.04	बा.दो.	5.20	गुलाबी
06	दिनेशसिंह 1/3 महेन्द्रसिंह 1/3 पि. अमरसिंह धापूदेवी पत्नि अमरसिंह 1/3 कौम मीणा सा. देह खातेदार	1841/2	0.70	बा.दो.	3.50	काला
		1845	0.89	बा.दो.	4.45	
		1846	0.49	बा.दो.	2.95	
		03	2.08	बा.दो.	10.40	

नोट:- आवागमन हेतु रास्ते हेतु गै.मु. रास्ता की भूमि है। प्रकरण में तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील वादी श्री गणपतलाल चौधरी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव से सहगति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिग्री जारी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/2021/ 1253 दिनांक 22.07.2021 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में वर्णित भूमि ग्राम चामुण्डेशी राणावतान् तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1841, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857 कुल खसरा-14 कुल रकबा 10.42 हेक्टर किस्म बरानी दोगम व बरानी अन्वल कुल वार्षिक लगान 53.24 रुपये के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिग्री जारी की जाती है:-



पेज लगातार.....04
रूप-रुप बांधकारी, बावो

क्र. सं.	नाम खातेदार	खरारा नंबर	रकबा (हेक्टर)	किरम	लगान	बरंग
1	सूरजकंवर पत्नि अर्जुनसिंह सा. लुन्दाडा 1/12 अर्जुनसिंह पुत्र कानसिंह सा. लुन्दाडा 1/6, मांगुसिंह पुत्र भूरसिंह सा. देह 1/24, भवरीकुंवर पुत्री भूरसिंह 1/24, बरान्ती कुंवर पत्नि नरपतसिंह, जोगेन्द्रसिंह, कमलसिंह पि. नरपतसिंह, देवीकुंवर, संतोष कुंवर पुत्रिया नरपतसिंह 1/6 हि. ब.हि.ब. परबतसिंह पुत्र थानसिंह, मेवाकुंवर, छेलकुंवर पुत्री थानसिंह, दाकुंवर पत्नि थानसिंह हि. 1/6 लादुसिंह, सवाईसिंह, भीमसिंह पि. हमीरसिंह गीताकुंवर, चन्द्राकुंवर उषाकुंवर पुत्रिया हमीरसिंह हि. 1/6 शिवनाथसिंह पि. कोलसिंह 1/6 कौम राजपुत सा. देह खातेदार	1852/1	0.08	वा.दो.	0.40	पीला
		1853	0.87	वा.दो.	4.35	
		1854	0.34	वा.अ.	2.04	
		1855	0.33	वा.अ.	1.98	
		1856	0.24	वा.अ.	1.44	
		1857	0.24	वा.अ.	1.38	
		06	2.09	-	11.59	
02	लादूसिंह, गुलाबसिंह पिसरान् जयसिंह उमराव कुंवर, फाऊआकंवर, दिवानकुंवर पुत्रिया जयसिंह 1/5, नाथूसिंह, भोपालसिंह पिसरान् भीकसिंह 1/5, शैतानसिंह पुत्र भूरसिंह चंद्रिका कुंवर, सुरजकंवर मदनकुंवर पुत्रिया भूरसिंह 1/5, सूरजकंवर पत्नि दलपतसिंह, मनोहरसिंह, रूपसिंह पिसरान् दलपतसिंह 1/5, विजयसिंह, मोतीसिंह पि. मोहब्बतसिंह सोहनकंवर पत्नि मोहब्बतसिंह 1/5 कौम राजपूत सा. देह खातेदार गुलाबसिंह का हिस्सा रहन SBI नाना में	1849	0.29	वा.दो.	1.45	हरा
		1850	0.49	वा.दो.	2.45	
		1851	0.76	वा.दो.	3.80	
		1852	0.55	वा.दो.	2.75	
		04	2.09	वा.दो.	10.45	
03	तेजसिंह 1/2 भेरूसिंह 1/2 पि. जवारसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	1846/1	0.12	वा.दो.	0.60	लाल
		1847	0.95	वा.दो.	4.75	
		1848	0.80	वा.दो.	4.00	
		1849/1	0.21	वा.दो.	1.05	
		04	2.08	वा.दो.	10.40	
04	हरिसिंह पुत्र नाथूसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	1841	1.04	वा.दो.	5.20	आसमानी
05	रघुवीरसिंह, परबतसिंह पुत्र जोरसिंह किरण कुंवर पुत्री जोरसिंह छगनकुंवर पत्नि जोरसिंह 1/2 हि. गुमानसिंह पुत्र मोतीसिंह 1/2 हि. कौम राजपुत सा. देह खातेदार गुमानसिंह का हिस्सा रहन RMGB चामुण्डेरी में	1841/1	1.04	वा.दो.	5.20	गुलाबी
06	दिनेशसिंह 1/3 महेन्द्रसिंह 1/3 पि. अमरसिंह धापूदेवी पत्नि अमरसिंह 1/3 कौम मीणा सा. देह खातेदार	1841/2	0.70	वा.दो.	3.50	काला
		1845	0.89	वा.दो.	4.45	
		1846	0.49	वा.दो.	2.95	
		03	2.08	वा.दो.	10.40	

नोट:- आवागमन हेतु रास्ते हेतु गै.गु. रास्ता की भूमि है। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्व का भाग माना जावे। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शों में तरमीग के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, चामुण्डेरी राणावतान् को लिखा जावे। गिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(श्री. अ. प्रकाश)

आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 14-9-2014 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली